संख्या-11/2026/001-141(1)/1624418/12-2099/56/2022

प्रेषक,

सर्वेश कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 13 मार्च, 2026

विषय:-वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-103-बीज-04-प्रमाणित बीजों के वितरण पर अनुदान की योजना (राज्य सेक्टर) के मानक मद 27-सब्सिडी के अन्तर्गत पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एस0एफ0-1815-जी/2401-04/पुनर्विनियोग/2025-26, दिनांक 30 जनवरी 2026 एवं पत्र संख्या-एस0एफ0-1962-जी/प्रमाणित बीज योजना/2025-26, दिनांक 24 फरवरी 2026 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-113-कृषि इंजीनियरी-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-06-प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान-पी0एम0कुसुम योजना के मानक मद-27-सब्सिडी में प्राविधानित धनराशि रूपये 50622.82 लाख के सापेक्ष हो रही बचत रूपये 7400.00 लाख से अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म,103-बीज,04-प्रमाणित बीजों के वितरण पर अनुदान की योजना (राज्य सेक्टर) के मानक मद 27-सब्सिडी में धनराशि रूपये 7400.00 लाख (रूपये चौहत्तर करोड़ मात्र) की अतिरिक्त धनराशि को विभागीय बचतों से संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 (भाग-1) के अनुसार पुनर्विनियोग किये जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है:-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

1. बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य कृषि निदेशक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
2. जिस योजना/मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसमें चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।
3. जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है, उसी मद/कार्यो में आहरित कर व्यय की जायेगी।
4. जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5. प्रस्ताव में आंकड़ों की शुद्धता का दायित्व कृषि निदेशक का होगा।

6. धनराशि के आहरण व्यय के दौरान वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-06/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 एवं इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 74,00,00,000 (रुपये चौहत्तर करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 011 **लेखा शीर्षक** 2401001030400 प्रमाणित बीजों पर अनुदान **मानक मद** 27 सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-06/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
सर्वेश कुमार सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-11/2026/001-141(1)/1624418/12-2099/56/2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, लखनऊ।
4. अपर कृषि निदेशक, (बीज एवं प्रक्षेत्र), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (व्यंय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
सर्वेश कुमार सिंह
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A012-20252026-141 2026 1624418 12 2099 56 2022

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-103-बीज-04-प्रमाणित बीजों पर अनुदान की योजना (राज्य सेक्टर) के अन्तर्गत पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध मे।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
011	2401001130600 (प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एंव उत्थान महाभियान (पी.एम. कुसुम) योजना)	27 (सब्सिडी)	5,06,22,82,000 रुपये पाँच अरब छह करोड़ बाईस लाख बयासी हजार मात्र	3,06,22,82,000 रुपये तीन अरब छह करोड़ बाईस लाख बयासी हजार मात्र	-74,00,00,000 रुपये चौहत्तर करोड़ मात्र	- 74000000	- 4322282000	2025-2026

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष
011	2401001030400 (प्रमाणित बीजों पर अनुदान)	27 (सब्सिडी)	1,00,00,00,000 रुपये एक अरब मात्र	74,00,00,000 रुपये चौहत्तर करोड़ मात्र	74000000	1740000000	2025-2026

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट से सत्यापित की जा सकती है ।

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

1- स्तम्भ-3 मे उल्लिखित योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में लक्ष्यों के निर्धारण न होने के कारण बचत हो रही है।

2- स्तम्भ-8 मे उल्लिखित धनराशि के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अपेक्षित धनराशि चालू वित्तीय वर्ष हेतु वित्तीय लक्ष्यों मे वृद्धि होने के कारण 27-सब्सिडी मद में व्ययाधिक्य की स्थिति उत्पन्न हुई है।

3- प्रेषित पुनर्विनियोग प्रस्ताव में उल्लिखित वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रत्याशित कुल व्यय की धनराशि रु0 17400.00 लाख मे अग्रेत्तर प्राप्त बचत रू0 7400.00 लाख को शामिल करते हुए स्तम्भ-9 में दर्शाया गया है।

4- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर संख्या-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या-बजट-1-458 10 मार्च 2026

संख्याः आर ई-< ८ > -2025-26, दिनांक ८ फरवरी 2026

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम,
प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।

(सर्वेश कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

Digitally signed by
RAHUL KUMAR
Date: 10-03-2026
17:48:45
(राहुल कुमार)
अनु सचिव।

संख्याः 141 2026 1624418 12 2099 56 2022 दिनांक- फरवरी, 2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
3- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
4- वित नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
6- वित (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (बी0एम0-9 तीन प्रतियों में)।
7- वित (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1
8- गार्ड बुक।

आज्ञा से
(सर्वेश कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है । इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट से सत्यापित की जा सकती है ।